न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 33/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/56

प्रार्थी:– विकास अधिकारी, पचांयत समिति रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. सरपंच ग्राम पंचायत रानीकलां
2. बबीता/वरदा राम घांची निवासी रानीकलां तहसील रानी

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.पंवार।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 28/03/2025

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 25.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। प्रार्थी वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जैर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच रानीकलां ने नियम विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया। जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 1077 किस्म बारानी दोयम की भूमि में जारी किया गया है, जो आबादी भूमि नहीं है। नियमानुसार ऐसी भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टा जारी नहीं कर सकती है, फिर भी ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। पटवारी रानीकलां की रिपोर्ट दिनांक 24.12.2019 व पत्र दिनांक 29.01.2020 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 1077 रकबा 0.71 किस्म बारानी दोयम में जारी किया गया है, जो पंचायत के खाते में दर्ज है जिसका आबादी में परिवर्तन करवाये बिना ही नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में की गयी है। मिसल में दर्ज आदेशिकाए कम्प्युटर से निर्धारित फॉरमेट में तैयार की है, जिसमें खाली जगह रखकर नाम भरे है। कही कॉलम रिक्त है तो कही दिनांक रिक्त है। अतः ऐसे निर्धारित फॉरमेट के आधार पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही विधिविरूद्ध प्रतीत होती है। जांच पत्रावलियों से भी यह स्पष्ट होता है कि

अति. जिला कलेक्टर पाली

सारी मिसल कार्यवाही एक ही दिन में तैयार कर आदेशिकाओं में आगे दिनांक अंकित कर खाली जगह भरी गयी। न तो मौका देखा गया और न ही आपत्ति ईश्तहार पर कोई क्रमांक अंकित है। निरीक्षणकर्ता एवं बयानकर्ता की वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरूद्ध जारी किया है जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें पुरी प्रक्रिया अपनाई गई है। खसरा संख्या 1077 / 1 की भूमि गै.मु.आबादी है, जिसे प्रार्थी ने स्वयं भी स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत ने अपने प्रमाण पत्र में भी जैर निगरानी पट्टे की भूमि को आबादी भूमि मानी है तथा अप्रार्थी भूमिहीन महिला है। प्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में पट्टे धारक के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है, केवल राजनीतिक द्वैष भावना से बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी प्रस्तुत की गयी है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 25.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि प्रतिबंधित है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं को भी जाच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई। तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नही किया। ग्राम पचायत रियायती दर पर/निःशुल्क भू–खण्ड आवंटन करने से पूर्व प्लान का नक्शा बनाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम में दिये गये प्रावधानो के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमादेन प्राप्त नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त पचायत समिति रानी के पत्र दिनांक 23.12.2019 की पालना मे पचायत प्रसार अधिकारी रानी स्टेशन द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन में अंकितानुसार डाक बंगले के पीछे खाली भूमि (पडत भूमि) पर तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 बबीता/वरदाराम धांची जिसका नाम क्रम संख्या 10 पर अंकित है, को रियायती दर पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टा खसरा नम्बर 1077 रकबा 0.71 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम पर जारी किया गया है जो पंचायत के खाते मे दर्ज है तथा पटवारी रिपोर्ट अनुसार इस भूमि पर पट्टे जारी नहीं कर सकते है, जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अवलोकन से भी स्पष्ट है। नियम 158 के तहत रियायती दर पर या निःशुल्क पट्टे सिर्फ उन्ही को जारी कर सकते है, जिनका

अति. जिला कलेक्टर पाली

10/12 खसरा 1077 नियम 158

पूर्व में कही भी आवासीय मकान बना हुआ नहीं हो तथा प्रार्थी बी.पी.एल. एस.सी., एस. टी., आदि हो परन्तु पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत जिनको भी पट्टे जारी किये गये है उन सभी के पूर्व में आवासीय मकान बने हुए है तथा वे सभी आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न परिवार है। साथ ही पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 2 (J) में यह स्पष्ट अंकित है कि बबीता पुत्री वरदाराम घांची को नियम 158 के तहत पट्टा संख्या 10 बुक नम्बर 261 दिनांक 25.10.2019 रियायती दर पर जारी किया गया है जो कुल 1350 वर्गफीट है, जो नियम विरूद्ध है क्योंकि यह पट्टा खसरा 1077 की भूमि पर जारी किया गया है जिसकी किस्म बारानी दोयम है, जिसका आबादी सम्परिवर्तन नहीं है, जिस पर नियमानुसार ग्राम पंचायत पट्टा जारी नहीं कर सकती है। अतः उक्त पट्टा नियम विरूद्ध जारी होने के कारण निरस्त करवाने की अनुशंषा की है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इसके अतिरिक्त जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। जिससे यह सुस्पष्ट है ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि से इतर भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण आदेशिका कम्प्यूटर टाईप है, जिसमें रिक्त स्थान छोडकर आवदेक की जानकारी, वार्डपंच का नाम, दिनांक आदि का बाद में अंकन से क़िया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) ''क से ड'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त दर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 20.09.2019 में अंकितानुसार एक माह का आपत्ति पत्र जारी किया गया था, मगर निर्धारित म्याद में किसी ने कोई आपत्ति पेश नहीं की परन्तु इससे पूर्व की किसी भी आदेशिका में नियम 148 के तहत आपत्ति ईश्तिहार जारी करने का निर्णय नहीं लिया गया। प्रकरण में नियम 148 के तहत जारी आपत्ति ईश्तिहार में केवल गवाहों के हस्ताक्षर है, उनकी वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है तथा आपत्ति इश्तिहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। प्रकरण में दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं है साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 158 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति रानी के पत्र दिनांक 23.12.2019 की पालना में पंचायत प्रसार अधिकारी रानी स्टेशन द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन तथा ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 2 (J) में भी जैर निगरानी पट्टे को विधिविरूद्ध बताया है। समग्रतः सम्पूर्ण विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 25.10.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली